Collection

सामग्रियों की प्राप्ति और संग्रह

संग्रहालय सामग्रियों का घर है। पर वे सामग्रियाँ कहाँ से प्राप्त की जायँ और कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर सरल भी है और कठिन भी। यह सरल है सैद्धान्तिक दृष्टि से, पर कठिन है व्यवहारिक दृष्टि से। हम आसानी से प्राप्ति का मार्ग अपना सकते हैं पर प्राप्त करना अपने में एक समस्या है। प्राप्ति के लिए कई माध्यमों को अपनाया जा सकता है। पर ऐसा नहीं कि कई में से एक का ही प्रयोग किया जाय। सभी का प्रयोग करना ही पड़ता है कि अधिक-से-अधिक प्रदर्श प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में निम्न रीतियाँ अपनाई जा सकती हैं :–

(1) संग्रहालय में वस्तुओं को क्रय करके उनका संग्रह किया जा सकता है। प्रत्येक संग्रहालय अपने उपलब्ध स्रोतों से सामग्रियों का क्रय करता है। इसमें वे सामग्रियाँ विशेष रूप से होती है जो अन्यत्र सरलता से प्राप्त नहीं होती तथा कीमती होती हैं जिनको धारक बिना मूल्य लिए देगा नहीं। उदाहरण के लिए हिटलर का कोई पत्र या लिखा हुआ कागज मिल जाय तो उसकी अनमोल कीमत देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी के पास चन्द्रगुप्त द्वितीय का सोने का चक्रविक्रम प्रकार का सिक्का हो, जो अत्यन्त अनुपलब्ध है, तो उसे बिना समुचित मूल्य लिए धारक देगा नहीं। यही कारण हैं कि अनुपलब्ध (rare) कलाकृतियाँ बड़ी तेजी से चोरी की जा रही हैं और उनकी तस्करी हो रही है। पर इसमें एक बहुत बड़ी कठिनाई है संग्रहालय के पास उतने पैसे होने की। संग्रहालय के साधन सीमित होते हैं। सरकार इस पर जो बजट बनाती है वह सदा घाटे का होता है क्योंकि यह पूर्णरूपेण एक अनुत्पादक क्रिया है। यह कमाने का केन्द्र नहीं होता। यह संस्कृति के प्रसार और जनता की सेवा भावना से चलने वाला केन्द्र होता है जैसे आज का डाक विभाग, चिकित्सालय आदि। थोड़े से पैसों से इसकी व्यवस्था जहाँ चलनी होती है वही नए सामग्रियों के खरीदने के लिए बहुत कम पैदा प्राप्त होता है। दूसरे आज कल बहुत-सी चीजें जाली एवं बनावटी (duplicate) होती है जो मूल (original) की तरह ही दिखाई पड़ती हैं। उनकी पहचान कैसे हो ? अभी हाल में J. N. S. I. के एक खण्ड में जाली

सिक्कों के चलन पर लेख प्रकाशित हुआ था। विश्वविद्यालयों के मुद्रा संग्रह में से बहुत के जाली होने की सम्भावना उठाई जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि विशेषज्ञ समीति का होना जो सामग्रियों की खरीद के पहले उनकी प्रामाणिकता की जाँच कर लें। इस सीमित के सदस्यों के ऊपर भी पैसा व्यय करना ही पड़ेगा। तीसरी कठिनाई है कि तस्कर अधिक मूल्य देकर सामानों को उसके स्वामी से प्राप्त कर उसकी तस्करी विदेशों में करने लगे हैं जिससे सामग्रियाँ प्रायः खुले बाजार से गायब हो गई है और जो लुके छिपे हैं भी उनकी वास्तविकता की परख कठिन तथा कीमत अपरमित है। सरकार का नया कानून पुरा सामग्रियों का पंजीयन करना (Registration of antiquities) प्रायः धारक को अपनी सम्पत्ति उजागर करने में बाध्य करती है। उसी प्रकार यदि पुरातन महत्त्व की सामग्रियाँ मिले जो विधानतः उसको सरकार को सौंपा जाय, इसके लिए 'पुरासामग्री अधिनियम' सरकार द्वारा पारित है। इसका उल्लेख परिशिष्ट में है। ऐसी कानूनी व्यवस्था ने उसको उजागार होने देने के मार्ग में बाधा उत्पन्न किया है।

(2) दूसरी विधि है खोजी दल द्वारा बिखरी सामग्रियाँ को एकत्र करना। खुदाई के स्थानों पर टीलों पर पुरातात्त्विक क्षेत्रों में, पुराने स्थलों पर आज भी बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। आज मध्य प्रदेश में कहीं भी निकल जाय तो आपको वहाँ कोई-न-कोई पुरास्थल एक दो मील पर मिल ही जायगा और उस पर फैली हैं अति प्राचीन पुरा-सामग्रियाँ। कई जगह भण्डार बनाकर सामग्रियाँ को ढेर करके कोठोरा में बन्द कर दिया गया है। पर यह कार्य भी व्यय साध्य है। इसके लिए खोजी दल (explorers) कर गठन करना होगा जो घूम-घूम कर सामग्रियों का संग्रह करे और उसे संग्रहालय में लावें। या तो कभी कोई जिज्ञासु कोई सामग्री पा जाता है तो वह स्वेच्छा से लागू भले हो संग्रहालय को दे दे या कहीं उत्खनन हो रहा है तो सरकार उसको पड़ोस संग्रहालय के सौदें पदे जैसे सारनाथ संग्रहालय में प्राप्त सामग्रियाँ। अन्यथा अपने में यह ऐसा खर्चीला कार्य है जो संग्रहालयों के लिए दुरूह है। बिहार के बक्सर जनपद में श्री सीताराम पण्डित ने अपना एक संग्रहालय स्थापित किया थी जिसमें क्षेत्र की अत्यन्त दुर्लभ वस्तुएँ थीं। उसके लिए मात्र उनकी तथा सहयोगियों की खोजी प्रवृत्ति ही जिम्मेदार रही है। इस दिशा में उनकी किंचित भी पैठ नहीं है पर रुचि के कारण वह इस ओर प्रायः लगे रहते थे और काफी कुछ इनके बारे में समझने लगे थे।

(3) दान द्वारा भी बहुत कुछ संग्रहालय प्राप्त करता है। जिस प्रकार पुस्तकालयों में दान में प्राप्त पुस्तकें उसकी आलमारियों को सुशोभित करती हैं वैसे ही संग्रहालय में भी। पहले बिहार के बक्सर के सीताराम पण्डित से भारत सरकार उनका संग्रह कई बार दान में माँगा था। पर वह देने को कुछ ऐसे शर्त बताए जो सरकार को मान्य नहीं था। बहुत से संग्रह करनेवाले लोग जो देखते थे कि उनका संग्रह उनके बाद सुरक्षित नहीं रहेगा या उनको प्राप्त सामग्रियों को रखने का उचित स्थान नहीं था। वे अपनी संगृहीत वस्तुएँ दान कर देते हैं किसी संग्रहालय को। भारत कला-भवन काशी को रायकृष्ण दास जैसे अनेक लोगों द्वारा प्रदत्त विविध सामग्रियाँ हैं।

(4) कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रकार की कई सामग्रियाँ किसी संग्रहालय को प्राप्त हो जाती हैं। संग्रहालय के लिए वे एक प्रकार के फालतू होती हैं। संग्रहालय तो कोई भाण्डागार है नहीं कि वहाँ इतना पर्याप्त जगह हो कि उसमें सब कुछ इकट्ठा किया जाय। अतः व्यवस्थापक (Curator) का यह कर्त्तव्य होता है कि जो सामग्रियाँ उसके यहाँ कई हों तो उनको

दूसरे संग्रहालयों में भेजकर वहाँ से जो अपने यहाँ आवश्यक हो और वहाँ अधिक हो उसे मंगा ले। इस प्रकार निरर्थक सामग्री के संकलन का बोझ भी संग्रहालय पर नहीं पड़ेगा और उसको दूसरी आवश्यक वस्तुएँ भी प्राप्त हो जायंगी। इस विधि द्वारा न केवल स्वदेशी अपितु विदेशी सामग्रियाँ भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त की जा सकती हैं। मद्रास संग्रहालय में इसी विधि द्वारा आस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका आदि की दुर्लभ पुरातात्त्विक वस्तुएँ संगृहीत हैं। यह विश्व-पुरातात्त्विक सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन की बड़ी ही उपयुक्त रीति है। विदेशी संग्रहालय भी इसका अनुकरण करते हैं।

(5) कभी-कभी संग्रहालय दूसरों से या दूसरे संग्रहालय से ऋण के रूप में सामग्रियाँ प्राप्त करता है। ये उधार की साँमग्री या तो स्थायी होती है या अस्थायी। जो स्थायी होती है वह ऐसे लोगों द्वारा दी जाती हैं, जो यह समझते हैं कि उनका अधिक उपयोग जनता के हित में संग्रहालय द्वारा ही हो सकेगा। अस्थायी सामग्री एक निश्चित समय के लिए विशेष प्रदर्शन के आयोजन पर या सामूहिक प्रदर्शन के अवसर पर या कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मँगाई जाती हैं जो बड़े ही उचित देख-रेख में निश्चित समय पर लौटा दी जाती है। इस विषय में की जाने वाली क्रिया की जानकारी डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के लेख First National Exhibition on Indian Art (Journal of Indian Museums Vol. V, 1950, pp. 18-27) तथा Inter Asian Art Exhibition, 1947 (Journal of Indian Museums Vol. III, 1947 pp. 91-98) द्वारा विस्तार से जाना जा सकता है कि मँगाने के पूर्व कैसे व्यवस्था की जाती है और भेजने के लिए सुरक्षा के उपाय रखे जाते हैं।

(6) कुछ ऐसी सामग्रियाँ होती है जिनका दूसरी प्रति (duplicate copy) नहीं होती और वे अधिक आवश्यक प्रतीत होती हैं तो उनकी छाया प्रति (Photo copy), पेरिस मिट्टी की प्रति (Cast type) आदि तैयार करा कर मँगवाया जाता है और उसके द्वारा उस सामग्री का स्थानापन्न करते हैं। बाल संग्रहालयों में इनकी विशेष व्यवस्था रहती है क्योंकि चित्रों को लड़के छू भी नहीं सकते और ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं।

(7) एक रीति सामग्रियों के संग्रह की यह भी है कि संग्रहालय क्लब (club) का संगठन करें और पर्यटन की व्यवस्था करें। सस्ती दर पर समीप के क्षेत्रों में क्लब के सदस्यों को चाहे वे बालक हों या वयस्क जो किसी एक विशेष विद्या में रुचि रखते हों अपने किसी विशेषज्ञ की देख-रेख में उचित समय में ले जाय। वहाँ सामग्रियों का संचय कराएँ तथा उनके सम्बन्ध में उनको व्याख्या का अवसर देकर उनका सही ज्ञान कराए। इस प्रकार, प्राकृतिक इतिहास (Natural History) की बहुत-सी सामग्रियाँ बिना मूल्य के संग्रहालय को प्राप्त हो जायगी। यह संग्रह का एक रुचिकर माध्यम है।